

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन , "ए " ब्लॉक, जनपथ , जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प 4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न . 2294 / 235

दिनांक :- 7-6-17

कार्यालय आदेश

स्व.श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा [लिंक न . 2294] तत्कालीन कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय अधीक्षक, न्यू हॉस्पिटल, चिकित्सा शिक्षा विभाग, कोटा - [20093] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

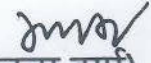
दिनांक 31/10/1999 से 11/06/2000 तक 225 दिवस

दिनांक 01/04/2009 से 20/07/2009 तक 111 दिवस

दिनांक 01/12/2012 से 22/10/2013 तक 326 दिवस

कुल 662 दिवस

उक्त कुल 662 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज स्व.श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।

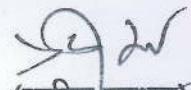

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक :- प 4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न . 2294 / 235

दिनांक :- 7-6-17

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अधीक्षक, न्यू हॉस्पिटल, चिकित्सा शिक्षा विभाग, कोटा
2. कोषाधिकारी कोटा
3. श्रीमती सुनीता शर्मा पत्नि स्व0 श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा , प्लॉट न . 73 , आर .के. कालोनी, रंगपुर रोड, कोटा(राजस्थान)
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली


(प्रदीप माथुर)

संयुक्त निदेशक (कार्मिक III)